न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 01/22 सन् 2022

RCMS NO-2022/46

बउनवानीः—1. घासी पुत्र रामदेवा जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
2. राजू पुत्र रामदेवा जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
3. मनभर पुत्री रामदेवा जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
4. रणजीत पुत्र रामदास जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
5. रणजीत पुत्र रामदास जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
6. सेजाबाई पत्नि रामदास जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
7. रामलखन पुत्र राकेश जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
8. मीना पत्नि कालू जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
9. आकाश पुत्र कालू जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा
10. रोहित पुत्र कालू जाति हरिजन निवासी चौथ का बरवाडा

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा0 संख्या 1224 निर्णय दिनांक 15.6.1979 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. तोफिक मोहम्मद पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 12.10.2022

अपील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल,नामा0 संख्या 1224 नर्णय दिनांक 15.6.1979 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के पूर्वज रामदेवा पुत्र गोविन्द जाति हरिजन को दिनांक 22.10.1975 को साबिक ख0न0 2142/6 मे 5 बीघा भूमि माननीय आवंटन अधिकारी उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा आवंटन रूल्स के मुताबिक आवंटन बाद सिफारिश आवंटन सलाहकार समिति के की गयी थी। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा आवंटी रामदेवा को सम्भला दिया था। उसके बाद से ही उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त रहा किन्तु न्यायालय में फर्जी कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बिना किसी समर्पण नामे के नाभा0 मे समर्पण नामा दिनांक 18.2.1979 का कॉलम संख्या 14 में अंकन करते हुए रामदेवा की अलोटशुद्वा भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दिया था जबकि टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के मुताबिक धारा 55 से धारा 61 तक भूमि समर्पण के नियम है तथा अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी भूमि को कभी समर्पण किया ही नही है क्योकि रामदेवा की मृत्यु दिनांक 15.12.1978 को हो चुकी थी तथा अपीलाधीन आदेश 1979 मे पारित किया गया है तथा नामा0 के कॉलम संख्या 14 मे [illegible] का मिथ्या अंकन किया है इसका बडा प्रमाण यह है कि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु [illegible] बाद भूमि का समर्पण कैसे कर सकता है। इस प्रकार मृत व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार का आदेश [illegible] से ही शून्य आदेश की श्रेणी मे आता है। अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है क्योकि अपीलान्ट को अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त किसी प्रकार का नोटिस जारी नही किया है ओर ना ही सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट के पिता रामदेवा को वर्ष 1993 तक की जीवित होना बताया है जो सरासर झूंठ है केवल मात्र वर्ष 1993 की मतदाता सूची के आधार पर अपीलान्ट के पिता को 1993 तक जीवित नही माना जा सकता है क्योकि क्योकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

समक्ष अधिकारी आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलान्ट के पिता का देहान्त 15.12.1978 को हो चुका था। अपीलाधीन आदेश का मुख्य आधार समर्पण नामा है जो अपीलान्ट के पिता के मृत्यु के बाद का है तथा आवंटन आदेश भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है आदेश जैर अपील की जानकारी दिनांक 6.1.2022 को पटवारी हल्का के पास अपने खाते की नकल लेने गया तब पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि को राजकीय भूमि होना बताये जाने पर प्राप्त हुई है तथा जानकारी प्राप्त होने पर जानकारी से अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील पैरोकार राजस्व द्वारा दोराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है क्योकि रेस्पो. के पिता रामदेवा द्वारा उसको आवंटित साबिक ख0न0 2142/6 रकबा 5 बीघा हाल ख0न0 2505 का दिनांक 18.2.1979 को किये गये समर्पण नामा के आधार पर पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही है। मुताबिक मतदाता सूची अपीलान्ट का पिता रामदेवा पुत्र गोविन्द हरिजन, वर्ष 1993 तक जीवित रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त मृत्यृ प्रमाण दिनांक 15.12.1978 गलत तथ्यों के आधार पर अवैधानिक रूप से लाभ प्राप्त करने/समर्पण नामा दिनांक 18.2.1979 को झूंठा साबित करने की गरज से बनाया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आदेश जैर अपील को निरस्त किया जाना न्याय संगत नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया है।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि यद्यपि आदेश जैर अपील (नामा0 संख्या 1224 दिनांक 15.6.1979) नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा समर्पण नामा दिनांक 18.2.1979 के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपने पिता की मृत्यु दिनांक 15.12.1978 को होना बताते हुए निवेदन किया है कि अपीलान्ट के पिता का देहान्त समर्पण नामा की दिनांक से लगभग दो माह पूर्व हो चुका था तो ऐसी स्थिति मे मृतक व्यक्ति कैसे समर्पण नामा कर सकता है। इसलिए उक्त फर्जी समर्पण नामा के आधार पर पारित आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। पैरोकार राजस्व एवं तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट के पिता को वर्ष 1993 तक जीवित होना बताया गया है जिसका प्रमाण वर्ष 1993 की मतदाता सूची बतायी गयी है, किन्तु किसी व्यक्ति के जीवित होने की पुष्टि केवल मतदाता सूची के आधार पर किया जाना विधिसम्मत नही है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे पुनः सुनवायी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए, आवंटन आदेश की वैद्यता, समर्पण नामा, रामदेवा के मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज की जांच कर सभी दस्तावेजो को रिकार्ड पर लेते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:41:20 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर